

(b) and (c) As part of Government policy, however, any association of Government employees formed on the basis of any Caste, Tribe, or Religious denomination or any group or section of such caste, tribe or religious denomination is not recognised by the Government.

(c) and (d) Government have enlisted some outside voluntary welfare associations of Scheduled Castes and Scheduled Tribes only for the purpose of giving wider publicity to the reserved vacancies.

### अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना

7250. श्री हरीश रावत : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिलों ताड़ीखेत में ब्रॉन्ज फ़ैक्ट्री के बन्द होने से वह "शून्य उद्योग" जिला घोषित हो जाने के कारण जिले को पुनः वर्गीकृत किया जाएगा; और

(ख) "शून्य उद्योग" जिलों के औद्योगीकरण के लिए अब तक केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं;

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी):

(क) अल्मोड़ा जिले में निम्नलिखित बड़े और मझौले उद्योग हैं :—

1. कुमार ब्रॉन्ज पाउडर, तारीखेत ।
2. सरस्वती वूलन मिल्स, चेलियानीला (रानीखेत) ।
3. अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड, माटेला ।

अतएव इस जिले को "उद्योग रहित जिलों" में शामिल नहीं किया गया है ।

(ख) सरकार "उद्योग रहित जिलों" में नए एकक स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृत हेतु, सर्वप्रथम अधिमानता दे रही है ।

### उत्तर प्रदेश में औद्योगिक सम्पदाओं का कार्यकरण

7251. श्री हरीश रावत : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के उन औद्योगिक रूप से पिछड़े स्थानों के नाम क्या हैं जहाँ औद्योगिक सम्पदाएँ हैं और वहाँ इस समय कितने उद्योग चल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार इन औद्योगिक सम्पदाओं की वर्तमान स्थापित व्यवस्था और प्रगति से संतुष्ट है; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को उसके विकास के लिए दी जानी वाली प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी):

(क) से (ग) औद्योगिक बस्तियों का विषय मुख्यतः राज्य सरकारों से संबंधित है । उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के 38 पिछड़े जिलों में से 26 जिलों/क्षेत्रों में 34 औद्योगिक बस्तियों की व्यवस्था है । इनमें 770 एककों के कार्यकरण होने की सूचना है । ये हैं अल्मोड़ा, आजमगढ़, बहराइच, बाराबंकी, बांदा, बुलन्दशहर, बस्ती, देवरिया, एटा, इटावा, फंजाबाद, फर्रुखाबाद, हमीरपुर, जौनपुर, झांसी, ललितपुर, मैनपुरी, मुरादाबाद, पीलीभीत, पौड़ी गढ़वाल, रामपुर, रायबरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर और उन्नाव ।

अतएव, उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों में औद्योगिक बस्तियों की प्रगति की गति संतोषप्रद समझी जाती है ।

### अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश में टंगस्टन एवं अन्य उपयोगी खनिज

7252. श्री हरीश रावत : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में कुछ स्थानों में भूगर्भ सर्वेक्षण के दौरान टंगस्टन एवं अन्य उपयोगी धातुओं के भण्डार पाए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ये भण्डार कहाँ-कहाँ

और कितनी मात्रा में पाए गए हैं;

(ग) इन भण्डारों के दोहन के लिए उनका मंत्रालय का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) क्या उत्तर प्रदेश के इस भाग के पर्यावरण सम्बन्धी महत्व को देखते हुए सरकार इन क्षेत्रों में भूमिगत खनन तकनीक अपनाने पर जोर देगी ?

**इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) :** (क) और (ख) अल्मोड़ा जिले के पटनाल और धौलीचौना क्षेत्रों में टंगस्टन तथा शोशाखानी क्षेत्र में सीसा-जस्ता खनिज होने की सूचना मिली है। इस जिले में पाए जाने वाले अन्य खनिज मैंगनेसाइट और सोपस्टोन/सैलखड़ी है।

टंगस्टन और सीसा-जस्ता की खोज प्रारंभिक अवस्था में है और अभी इन खनिजों के भण्डारों की आकलन/पुष्टि नहीं हुई है।

मैंगनेसाइट अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों के बीच स्थित पट्टी में है। इन जिलों में मैंगनेसाइट के साथ बड़ी मात्रा में सोपस्टोन और सैलखड़ी के भी भण्डार हैं। इन खनिजों के निम्नलिखित भण्डारों की पुष्टि हो गई है :—

मैंगनेसाइट	(मिलियन टन)
ग्रेड—1	15.13
ग्रेड—2	41.03
ग्रेड—3	26.05
सोपस्टोन (पचार पर)	
ग्रेड—1	0.30
ग्रेड—2	2.20
ग्रेड—3	1.60

(ग) और (घ) टंगस्टन और सीसा-जस्ता की खोज प्रारंभिक अवस्था में है और इन खनिजों का दोहन इन भण्डारों की प्रौद्योगिक उपादेयता की पुष्टि के बाद ही शुरू किया जा सकता है। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में मैंगनेसाइट और सोपस्टोन भण्डारों का

विभिन्न एजेंसियों द्वारा पहले से विदोहन किया जा रहा है।

विदोहन एजेंसियों द्वारा क्षेत्र के पर्यावरण तथा खानों की गहराई को ध्यान में रख कर भूमिगत खनन सहित उपयुक्त खनन विधियों पर विचार किया जा रहा है।

**Rajneesh Foundation**

7253. SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the activities of Rajneesh Foundation, Pune are prejudicial to the public morals and have been affecting civil life of the Indian public ;

(b) whether serious irregularities have also been found in regard to the working of this Ashram during the last five years ;

(c) whether Government of India have inquired into the working of this Ashram ; and

(d) the details of the action Government of India have taken to stop such activities of this Ashram ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): (a) According to information available the Government of Maharashtra had received some complaints in the past about the foreign disciples of the Rajneesh Ashram, including indulgence in alleged obscene activities by them. No such complaints however, had been received by them after the departure of the foreign disciples of the Ashram soon after Acharya Rajneesh left India for the U.S.A. in 1981.

(b) No serious irregularities were reported to have been found in the working of the Ashram during the last five years.

(c) No, Sir

(d) Specific cases had been registered by the State Government under various provisions of law in respect of complaints received by them against the disciples of the Ashram. The Central Government also maintains a general watch on the activities of such organisations for taking appropriate action whenever necessary.